न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–03/2022 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

1. गौरीशंकर पुत्र रामेश्वर जाति खाती निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. धापा देवी पत्नी गौरीशंकर जाति खाती निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.02.2022 न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा प्रकरण संख्या–01/2020 बअनवानी रामेश्वर बनाम गौरीशंकर के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–22.09.2022**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट रामेश्वर ने उपखण्ड अधिकारी एवं भरण पोषण अधिकरण, भादरा के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध धारा 22–23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी गांव निनाण का निवासी है तथा 68 वर्ष की उम्र है व प्रार्थी का गांव की आबादी में एक रिहायशी मकान है व एक पट्टा शुदा भूखण्ड है जिसे अपने पुत्र को दे रखा है जिसमें वह रिहायश करता है। अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसकी पत्नी से रंजिश रखते है एवं प्रार्थी के नाम से तमाम चल व अचल सम्पत्ति अपने नाम से करवाने की धमकी देते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मकान के आंगन में लकड़ी, गोबर कचरा आदि डाल दिया है। अप्रार्थी गौरी शंकर चिड़ावा में फर्नीचर का कार्य करता है। अप्रार्थीगण आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए भी प्रार्थी व उसकी पत्नी बाधो देवी का भरण–पोषण नहीं कर रहा है। अप्रार्थीगण को भरण–पोषण का कहा तो प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करने लगे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पुलिस इमदाद से अपने मकान का कब्जा दिलवाने एवं प्रार्थी के मकान में दखल अदांजी न करने व प्रार्थी एवं उसकी पत्नी बाधो देवी को भरण–पोषण के रूप में 30,000/– रूपये माहवार दिलवाने का निवेदन किया। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया व रेस्पोडेन्ट स्वयं भरण पोषण में सक्षम होना एवं रेस्पोडेन्ट की पत्नी प्रेमा देवी अपीलांट के साथ रहना व अपीलांट द्वारा उसका भरण–पोषण करना एवं अपीलांट ने स्वयं को गरीब व मनरेगा श्रमिक होने का कथन किया। रेस्पोडेन्ट रामेश्वर स्वेच्छा से अपने भाई बीरबल के साथ रहना एवं बीरबल द्वारा बहकाने पर अपीलांट से झगड़ा करना व रेस्पोडेन्ट रामेश्वर की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से बीरबल द्वारा तमाम कार्यवाही करना व प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी एवं भरण पोषण अधिकारी भादरा द्वारा निर्णय दिनांक 02.02.2022 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 10000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण हेतु देने का आदेश पारित किया जो निम्न आधारों पर काबिल खारिजी के है कि निर्णय दिनांक

02.02.2022 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के बिना कोई जांच किये, विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध मनमाने एवं विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया होने के कारण काबिल खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 को वरिष्ठ नागरिक मानते हुए अपीलांट संख्या 1 व 2 को उसका भरण पोषण करने का आदेश पारित किया व रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ माना है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में चक नं 3 जे.जी.डब्ल्यू. में 9.067 हैक्टर व चक नं 8 जे.जी.डब्ल्यू में 1.518 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा अर्थात 0.506 हैक्टेयर खातेदारी नहरी भूमि है, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं हिस्सा ठेका पर काश्त करवाता है व उक्त कृषि भूमि की आय से स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ हैं, परन्तु विचारण न्यायालय उक्त तथ्य की जांच किये बिना, मनमाने रूप से पारित किया गया होने के कारण खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी एवं भरण–पोषण अधिकारी, भादरा के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 22 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत आवेदन पत्र पेश किया था। धारा 22 ''प्राधिकारी जो इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु विनिर्दिष्ट किये जा सकते है'' व धारा–23 में ''कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा।'' का प्रावधान है, रेस्पोडेंट रामेश्वर द्वारा अपीलांट को किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया गया है, इसलिये रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र ही चलने योग्य नहीं था, परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा करके निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने व अपनी पत्नी के लिये भरण–पोषण की मांग की है व प्रार्थना पत्र में अपनी पत्नी का नाम बाधो देवी अंकित किया है, जबकि रेस्पोडेन्ट की पत्नी का नाम पेमा देवी है व पेमा देवी अपीलांट के साथ रह रही है व अपीलांट ही मजदूरी आदि करके उसका भरण पोषण कर रहे है, परन्तु निर्णय में इस तथ्य की कोई जांच नहीं की है। रेस्पोडेन्ट रामेश्वर ने अपीलांट गौरी शंकर के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा के द्वारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण–पोषण हेतु प्रकरण रामेश्वर बनाम गौरशंकर प्र.स. 221/2021 प्रस्तुत कर रखा है, इसलिये भी भरण–पोषण अधिकारी के समक्ष पुनः भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हो सकता। रेस्पोडेन्ट रामेश्वर ने अपने व अपनी तथाकथित पत्नी बाधो देवी के लिये भरण–पोषण की मांग की, जबकि रेस्पोडेन्ट रामेश्वर की पत्नी का नाम प्रेमा देवी है जो अपीलांट के साथ रह रही है, अपीलांट ही उसका भरण पोषण कर रहे है। प्रेमा देवी ने अपने भरण पोषण हेतु अपने पति रेस्पोडेन्ट रामेश्वर के विरूद्ध धारा 125 सीआरपीसी के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा में प्रकरण प्रेमादेवी बनाम रामेश्वर प्रकरण संख्या 179/2020 प्रस्तुत कर रखा है। रेस्पोडेन्ट रामेश्वर ने बहकावे में आकर व अपने गलत व्यशंनो की पूर्ति हेतु अपनी पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया, जिस पर प्रेमा देवी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में धारा 12, 18, 19, 20, 22 व 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रेमा देवी बनाम रामेश्वर प्रकरण संख्या 201/2020 प्रस्तुत कर रखा है। उक्त तमाम दस्तावेज विचारण न्यायालय में प्रस्तुत थे परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों को अनदेखा करके निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध संयुक्त रूप से रेस्पोडेट रामेश्वर का भरण–पोषण करने का आदेश पारित किया है, जबकि अपीलांट संख्या 2 धापा देवी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुत्रवधु है। अपीलांट संख्या 2 किसी भी प्रावधान के तहत भरण पोषण की उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि अपीलांट संख्या 2 धापा देवी न तो रेस्पोडेन्ट की वारिस है व न ही उसकी नातेदार की श्रेणी में आती है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर अपने गलत व्यशंनों की पूर्ति हेतु अपने आवासीय मकान व कृषि भूमि को विक्रय करना चाहता है व अपने भाई के बहकावे में आकर अपीलांट व अपनी पत्नी प्रेमा देवी को घर से निकाल रखा है, अपीलांट अपनी माता प्रेमा देवी का भरण–पोषण कर रहे है, परन्तु रेस्पोडेन्ट रामेश्वर हर समय अपने पुत्र, पुत्रवधु व पत्नी को तंग परेशान करता रहा है, इसलिये प्रेमा देवी का आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जांच करके न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा का भरण पोषण दिलवाने हेतु भेजा गया था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तमाम तथ्य अनदेखे करके निर्णय पारित किये है, इसलिये आदेश काबिल खारिजी है। अतः अपील प्रस्तुत कर अपील

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2022 निरस्त किये निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

अपीलांट जरिये न्यायमित्र श्री आशीष भिडासरा एवं रेस्पोडेन्ट जरिये न्याय मित्र श्री देवीलाल भाम्भू उपस्थित उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। न्यायमित्र अपीलांट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट को वरिष्ठ नागरिक मानते हुए अपीलांट संख्या 1 व 2 को उसका भरण पोषण करने का आदेश पारित किया व रेस्पोडेंट स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ माना है, जबकि रेस्पोडेन्ट के धारण में खातेदारी नहरी भूमि है, जिसे रेस्पोडेन्ट स्वयं हिस्सा ठेका पर काश्त करवाता है व उक्त कृषि भूमि की आय से स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ है। रेस्पोडेन्ट रामेश्वर ने अपने व अपनी तथाकथित पत्नी बाधो देवी के लिये भरण–पोषण की मांग की, जबकि रेस्पोडेन्ट रामेश्वर की पत्नी का नाम प्रेमा देवी है जो अपीलांट के साथ रह रही है, अपीलांट ही उसका भरण पोषण कर रहे है। रेस्पोडेन्ट रामेश्वर अपने गलत व्यशंनों की पूर्ति हेतु अपने आवासीय मकान व कृषि भूमि को विक्रय करना चाहता है व अपने भाई के बहकावे में आकर अपीलांट व अपनी पत्नी प्रेमा देवी को घर से निकाल रखा है, अपीलांट अपनी माता प्रेमा देवी का भरण–पोषण कर रहे है, परन्तु रेस्पोडेन्ट रामेश्वर हर समय अपने पुत्र, पुत्रवधु व पत्नी को तंग परेशान करता रहा है। अतः अपील में वर्णित बिन्दुवार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

न्याय मित्र रेस्पोडेन्ट श्री देवीलाल भाम्भू ने हाजिर आकर न्यायमित्र अपीलांट के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट रामेश्वर काफी वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है जिसके पास कुल 8 बीघा कृषि भूमि है जिसमें से 4 बीघा कृषि भूमि घरेलू बंटवारा में अपीलांट को दे रखी है तथा 4 बीघा जो रेस्पोडेन्ट के पास है उसकी काश्त भी अपीलांट नहीं करने दे रहे है। रेस्पोडेन्ट की पत्नी का नाम प्रेमा देवी है टाईपिंग भूल के कारण सहवन से प्रार्थना पत्र में बाधो देवी अंकित हो गया तथा रेस्पोडेन्ट की पत्नी प्रेमा देवी रेस्पोडेन्ट के साथ रह रही है तथा भरण–पोषण हेतु प्रेमा देवी द्वारा दावा पेश करने का कथन जो अपीलांट द्वारा किया गया है। वह प्रेमा देवी को बहकावे में लेकर अपीलांट द्वारा पेश करवाया गया है। इसलिए अपील अपीलांट विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाई जावे तथा रेस्पोडेन्ट को भरण–पोषण दिलवाने व शान्तिपूर्वक रिहायश में बाधा उत्पन्न ना करने बाबत निवेदन किया है।

दोनो पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 के विरूद्ध भरण–पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत की गई है। अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेन्ट के पास अपने भरण–पोषण के लिए पर्याप्त साधन (स्वयं धारण में खातेदारी नहरी भूमि) होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्रति माह 10,000 रूपये देने के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपील में विचारणीय मुख्य बिन्दु है कि रेस्पोडेन्ट स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम है या नहीं है जिसके सम्बन्ध में न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया कि रेस्पोडेन्ट पास कुल 8 बीघा कृषि भूमि है जिसमें से 4 बीघा कृषि भूमि घरेलू बंटवारा में अपीलांट को दे रखी है तथा 4 बीघा जो रेस्पोडेन्ट के पास है परन्तु अपीलाण्टस उसको काश्त नहीं करने दे रहे है। रेस्पोडेन्ट रामेश्वर काफी वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है जो स्वयं मजदूरी कर भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है। रेस्पोडेन्ट की पत्नी प्रेमा देवी भी रेस्पोडेन्ट के साथ रहना बताया है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टस सं. 01 व 02 दोनों को ही रेस्पोडेन्ट के भरण–पोषण के लिए 10,000 रूपये प्रतिमाह देने हेतु आदेशित किया है जबकि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में केवल संतान (वयस्क पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है) व सम्बन्धी (सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक को जो कि विधिक उत्तराधिकारी, जो अवयस्क नहीं है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति का

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

कब्जाधारी में है या को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा) ही जिम्मेदार है न की पुत्र वधु। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय भरण–पोषण अधिनियम 2007 में प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने भरण पोषण स्वीकृत करते समय कानूनी भूल की है और रेस्पोडेन्ट को गुजारा भत्ता नियम विरूद्ध स्वीकृत करने से उक्त निर्णय दिनांक 02.02.2022 काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.02.2022 अपास्त किया जाता है। अपीलाण्ट सं. 01 को आदेश दिये जाते है कि वह रेस्पोडेंट को 5000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण गुजारा भत्ता देगें। रेस्पोडेन्ट की वृद्धावस्था को देखते हुए रहने के लिए आवास, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना व भरण–पोषण करना पुत्र का नैतिक दायित्व है इसलिए अपीलाण्टस रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नी की आवास, मूलभूत सुविधाएं में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official